

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम पुत्र विशनाराम जाति कुम्हार, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगौरा(04)		कुटलाराम पुत्र विशनाराम जाति कुम्हार, निवासी भगवानोणियों की ढाणी, निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगौरा(18)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 111,128)

मुकदमा नम्बर 86/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.04.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 17.05.2023 को पेश हो।	
17.5.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इलतफ होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 26.5.23 को पेश हो।	
26.5.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस व डिलेक्री रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार होकर दिनांक 7.6.23 को पेश हो।	
7.6.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थीगण के नोटिस व डिलेक्री रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार होकर दिनांक 12.6.23 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव



9.10.24

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 6.11.24 को पेश हो।

06.11.24

पत्रावली पेश। कानूनलय उपस्थित।
पत्रावली कसम हेतु दिनांक 15.01.25 को
पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
शिव

15.1.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 7.2.25 को पेश हो।

7.03.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 3.04.25 को पेश हो।

3.04.2025

पत्रावली आज पेश हुई, उभय पक्ष कारण
के वकील उपठ, कसम सुनी गई, प्रकरण में
प्रार्थी राजा की प्रार्थना की नकल मकदी हेतु
नकल मकदी आदेश प्रथम ले जारी होकर
शामिल मिलल हो, पत्रावली केसल सुमार
होकर हासिल इफ्तल हो,

उपखण्ड अधिकारी
शिव